# विनियमन में नये प्रतिमान बनाना *

उषा थोरात

वैश्विक वित्तीय संकट प्रमुख रूप से एक पहला वैश्विक उदाहरण था। उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं पर इसका प्रभाव अधिकांशतः संक्रमण के माध्यम से हुआ। वित्तीय क्षेत्र के विकास के स्तर, वित्तीय बाजार की जटिलता, विनियमन की सीमा और वैश्विक एकीकरण, घरेलू और वित्तीय मध्यस्थों के लीवरेज की मात्रा, कारोबार मॉडल की प्रकृति और पर्यवेक्षण की गुणवत्ता ने किसी संस्था अथवा क्षेत्राधिकार पर संकट के प्रभाव को निश्चित किया। वैश्विक वित्तीय संकट का प्रभाव और परिणामस्वरूप विनियामक व्यवस्था में अपेक्षित सुधारात्मक कार्रवाइयां अलग-अलग देशों में भिन्न-भिन्न थीं। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार, वित्तीय क्षेत्र के लिए प्रत्यक्ष सरकारी समर्थन का औसत विकसित देशों में जीडीपी का 5.8 प्रतिशत और विकासशील देशों में 0.3 प्रतिशत था। यह भी ध्यान रखने की बात है कि अतीत में कई उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं के अपने संकट थे जिनके लिए भिन्न-भिन्न मात्रा में सार्वजनिक हस्तक्षेप की जरूरत थी (लैटिन अमरीकन संकट, एशियन संकट, रूसी संकट आदि)।

2. जबकि वैश्विक मंच यह सुनिश्चित करने के लिए विनियामक सुधार कर रहा है कि ऐसे संकट दोबारा न हों, ऐसे मंच के सदस्यों जैसे भारत सहित बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बनी बासेल समिति (बीसीबीएस) और वित्तीय स्थिरता बोर्ड (एफएसबी) ने ऐसे कदमों को समर्थन दिया है क्योंकि यह महसूस किया गया है कि भिन्न-भिन्न देशों के लिए एक सुसंगत न्यूनतम विनियामक ढांचे की आवश्यकता है। उदाहरण के लिए, हमने महसूस किया है कि यद्यपि सभी देशों का न्यूनतम पूंजी पर्याप्तता मानदंड 8 प्रतिशत रहा, ऐसी पूंजी के घटक इतने भिन्न-भिन्न थे जिनका परिणाम यह रहा कि अलग-अलग देशों में पूंजी पर्याप्तता अनुपात का दायरा 2 से 8 प्रतिशत रहा, यदि नये प्रस्तावों को कार्यान्वित किया जाए तो भारत इस दायरे के सबसे ऊपर है। कल

* 8 सितंबर 2010 को 'वैश्विक बैंकिंगः निदर्शनात्मक बदलाव' विषय पर फिक्की -आइबीए द्वारा आयोजित 'विनियमन में नये प्रतिमान बनाना' विषय पर पैनल सेशन में भारतीय रिज़र्व बैंक की उप गवर्नर श्रीमती उषा थोरात द्वारा दिया गया प्रमुख भाषण।

की बातचीत में, गवर्नर महोदय ने बासेल III के प्रयासों के अंतर्गत नये विनियामक प्रतिमानों पर विस्तार से चर्चा की है, इसलिए मैं इन पहलुओं पर नहीं जाऊंगा पर इसकी जगह उन चुनौतियों पर फोकस करूं गा जिनका सामना भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में विनियामक को तीव्र और समावेशी वृद्धि सुगम बनाने के लिए वित्तीय क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करने में करना पड़ता है, साथ ही वित्तीय संस्थाओं की मजबूती और वित्तीय स्थायित्व को भी सुनिश्चित करना होता है।

## वित्तीय विस्तार की भूमिका

3. भारत की वृद्धि का एक प्रमुख प्रेरक बचत का उच्च स्तर रहा है। बचत दर आज (2008-09) की जीडीपी का 32.5 प्रतिशत है जबकि दस वर्ष (1998-99) पहले यह 22.3 प्रतिशत थी। घरेलू क्षेत्र का बचत में योगदान 70.0 प्रतिशत है। जबकि समग्र बचत अनुपात काफी अधिक बढ़ा है, वित्तीय बचत घरेलू बचतों के लगभग 50 प्रतिशत पर बनी रही है। वित्तीय बचतों के अंतर्गत, बैंक बचतों का हिस्सा 2000-01 के 33 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में 55 प्रतिशत हो गया है। मार्च 2004 में, प्रति 100 वयस्क जन संख्या 59 बचत और चालू खाते थे। मार्च 2009 में, यह संख्या बढ़कर 96 हो गई है। इसी अवधि में उधार खातों की संख्या प्रति 100 वयस्क जन संख्या 12 से बढ़कर 20 हो गई है। सभी राज्यों में राज्य-वार कवरेज में सुधार दिखा है (अनुबंध)। इससे बैंकों के बढ़ते विस्तार का पता चलता है यद्यपि कई क्षेत्रों में पहुंचने में समय लगेगा। वृद्धि की उच्च दरों को प्राप्त करने से उच्च वित्तीय बचतों की आवश्यकता होगी और इसका अर्थ होगा बैंकों और अन्य वित्तीय मध्यस्थों जैसे बीमा कंपनियों, म्युच्यूअल फंडों और पेंशन निधियों का काफी अधिक विस्तार। वित्तीय बचतों के उच्च स्तर को प्राप्त करने के लिए भी नरम मुद्रास्फीतिक वातावरण की आवश्यकता है। टीयर 3 से 6 केन्द्रों में शाखा लाइसेंसिंग को मुक्त करने तथा कारोबार संपर्की (बीसी) मॉडल के उदारीकरण जैसे कदम और अधिक विस्तार को प्राप्त करने के लिए उठाए गये हैं। टीयर 1 और 2 केन्द्रों में शाखा लाइसेसिंग को बैंक रहित क्षेत्र में शाखाएं खोलने/बैंकिंग उपस्थिति में बैंकों के कार्य निष्पादन से जोड़ना बैंकिंग नीति का एक तत्व है इसका उद्देश्य और अधिक वित्तीय समावेशन तथा समावेशी वृद्धि को सुगम बनाने के लिए ऐसे क्षेत्रों में उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु बैंकों को प्रोत्साहित करना है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (नरेगा) के भुगतानों का बैंक खातों के माध्यम से संवितरण, जिसमें जॉब कार्ड पहचान के दस्तावेज के रूप में कार्य करता है, उच्च बैंकिंग कवरेज को प्राप्त करने के लिए एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। जिस गति के साथ एकल पहचान (यूआइडी) ग्रामीण निवासियों को प्रदान किये जा रहे है, वे ऐसे विस्तार को और सुगम बनाएंगे क्योंकि वे खाताधारकों के लिए केवाइसी मानदंड़ों को पूरा करेंगे जिसका लेन-देन मूल्य अल्प होगा।

## भुगतान प्रणाली की भूमिका

4. मुझे विश्वास है कि समावेशी वृद्धि को प्राप्त करने के हमारे राष्ट्रीय प्रयासों में एक महत्वपूर्ण कार्य संपूर्ण देश के अंतर्गत भुगतान लेन-देनों के एक काफी बड़े हिस्से को औपचारिक चैनल में लाना है। वित्तीय क्षेत्र द्वारा अपनाई गई प्रौद्योगिकी इस उद्देश्य को प्राप्त करने में एक अनोखा अवसर प्रदान करती है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम वर्तमान में एक ऐसी परियोजना पर कार्य कर रहा है जिसे कुछ महीनों में शुरू किया जाएगा। इस परियोजना का परिणाम होगा कि प्रेषण का कोई हिताधिकारी कहीं भी किसी बीसी आउटलेट का प्रयोग कर सकेगा चाहे उसके पास कोई बैंक खाता न भी हो और वह जहां से प्रेषण किया गया हो यदि वहां कोई बैंक न हो तो भी 5,000 रुपए तक नकदी प्राप्त कर सकेगा।

इससे प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित नये भुगतान उत्पादों का प्रयोग करके बैंकों के बीच अबाधित अंतरण की अनुमति भी होगी। जब कभी प्रौद्योगिकी संचालित वित्तीय समावेशन के मुद्दे को चिह्नित किया जाता है, अक्सर एक चर्चा शुरू होती है कि क्या समावेशी विकास के मॉडल को औपचारिक चैनल से परे जाना चाहिए क्योंकि इसका संबंध धन अंतरण / भुगतान से संबंधित है। हमने इस संबंध में फिलीपाइन्स और कीनिया के अनुभव का अध्ययन किया है। हमारा विश्वास है कि अकेले भुगतान सेवाएं प्रदान करना वित्तीय समावेशन नहीं है क्योंकि इसके साथ-साथ अन्य उत्पादों की भी आवश्यकता है। इसको देखते हुए कि भारत अभी भी एक नकदी रहित समाज बनने से बहुत दूर है, इन मॉडलों में नकदी जमा करना / नकदी निकालने की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि निहित विभिन्न मुद्दों पर व्यापक चर्चा के पश्चात भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, जिसने इस मुद्दे पर विचार किया, द्वारा संचालित उच्चस्तरीय अंतर - मंत्रालय समूह कमोबेश इस निष्कर्ष पर पहुंचा है अर्थात बैंक प्रधान मॉडल के साथ आगे बढ़ा जा सकता है। इसलिए यह आवश्यक है कि बैंक और मोबाइल/कार्ड ऑपरेटर एक सर्व व्यापी और प्रभावी भुगतान प्रणाली के उद्देश्य को प्राप्त करने में सहभागी के रूप में साथ मिलकर काम करें।

## बचत बैंक ब्याज दर - विनियमन के लिए मामला?

5. बैंक जमाओं पर ब्याज दरों के स्तर को देखते हुए, सामान्य आदमी वैकल्पिक चैनलों विशेष रूप से अनौपचारिक बाजार में दिए जा रहे उच्च ब्याज दर से लालायित होता है। बचत बैंक ब्याज का अविनियमन जो रिज़र्व बैंक द्वारा वर्तमान में 3.5 प्रतिशत रखा गया है एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हम विचार कर रहे हैं। मामले पर विचार करने और निष्कर्ष निकालने के लिए एक कार्य समूह बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ, कम लागत के बचत खाते बैंकों को एक स्थायी स्वरूप की कम लागत निधियां प्रदान करते हैं जो आस्ति-देयता प्रबंधन (एएलएम) को सुगम बनाते हैं और उधार देने की दरों को कम करने में मदद करते हैं। दूसरी तरफ, ऐसे खातों की देखभाल करने में हाल में वसूल न की गयी लागत पर भी विचार किया जाना है। दरों को पूरी तरह से मुक्त करने से, ऐसी स्थिति में जब बैंकिंग का वर्चुअल एकाधिकार हो, कुछ क्षेत्रों में दरों में कमी हो सकती है जबकि अन्य क्षेत्रों में वृद्धि हो सकती है - यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है कि एक बैंक के विभिन्न ग्राहकों के बीच कोई भेदभाव नहीं है। लागत वसूली में पारदर्शिता विनियमन को सुगम बना सकती है - इसके लिए भी सभी स्थानों पर भेदभाव नहीं किये जाने की आवश्यकता है। एक महत्वपूर्ण यह विचार होना चाहिए कि क्या बचत दरों का विनियमन औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में और अधिक जनसंख्या को आकर्षित करेगा। इन सभी मुद्दों पर कार्य समूह द्वारा विस्तार से चर्चा की जाएगी।

## समावेशी वृद्धि को समर्थन देने के लिए बैंकों की पूंजी आवश्यकताएं

6. एक बड़ा कारक जो उच्च वृद्धि को सुगम बनाने में बैंकों की क्षमता का निर्धारण करेगा पूंजी बटोरने में उनकी योग्यता होगी। पिछले पांच सालों के दौरान, बैंक अपनी टीयर I पूंजी को लगभग 30 प्रतिशत के वार्षिक औसत तक बढ़ाने में समर्थ हुए हैं जबकि इसी अवधि के दौरान जोखिम भारित आस्तियां 26 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है, जिसमें से एक चौथाई का आंतरिक सृजन हुआ है, सरकार से लघु राशि और इसका अधिकांश भाग पूंजी बाजार से सृजित हुआ है। यह मानते हुए कि जोखिम भारित आस्तियों में भविष्य में

ऐसी ही वृद्धि होगी, और भारतीय बैंकों के लिए पूंजी पर औसत प्रतिफल को देखते हुए, बाजार से पूंजी जुटाना एक समस्या नहीं होगी। टीयर I पूंजी के प्रधान भाग के रूप में सामान्य इक्विटी रखने के लिए बासेल III की आवश्यकता को देखते हुए, और यह देखते हुए कि इस संबंध में भारतीय बैंक पहले से ही अच्छे स्थिति में हैं, लाभ की स्थिति को बनाये रखना ठीक होगा चाहे नये मानदंड़ केवल चरणबद्ध तरीके से शुरू किये जाएं।

## भावी प्रावधानन

7. वैश्विक और घरेलू आघातों का सामना करती एक वृद्धिशील अर्थव्यवस्था में, यह संभव है कि अनर्जक आस्तियां बढ़े और एनपीए अनुपात ऊपर और नीचे हो। जोखिम भारित आस्तियों में वृद्धि को समर्थन देने के लिए आंतरिक उपचयों के सृजन के अलावा, मामला यह है कि क्या अनुमानित हानियों के लिए पर्याप्त प्रावधानन हेतु अर्जनकारी आस्तियों पर मार्जिन पर्याप्त है। इस संदर्भ में, भावी प्रावधानों का निर्माण जैसा कि बासेल स्तर पर विचार किया जा रहा है भारत जैसे देश के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। जबकि हमने बैंकों से कहा है कि वे एनपीए के लिए 70 प्रतिशत के कम से कम प्रावधानन कवरेज अनुपात (पीसीआर) को प्राप्त करें, हम समय श्रृंखला और विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित आकड़ों के आधार पर अलग-अलग सेक्टरों में मानक आस्तियों के लिए प्रावधानन हेतु मानदंड विकसित करने हेतु स्पेनिश डायनेमिक प्रावधानन मॉडल पर आधारित एक योजना पर भी कार्य कर रहे हैं। ऐसे प्रावधानन में अच्छे समय में लाभ को अलग रखने की कल्पना की गई है जिसे मंदी के समय प्रयोग किया जा सकेगा और ऐसी स्थिति में जब अर्थव्यवस्था उच्च वृद्धि की ओर आगे बढ़ रही हो तो वित्तीय स्थिरता परिप्रेक्ष्य से बहुत अधिक राहत मिलेगी।

## आधारभूत संरचना को उधार

8. उच्च वृद्धि की आकांक्षा से तात्पर्य आधारभूत संरचना में और अधिक निवेश करना है। यह कहना व्यर्थ है कि निधीयन अथवा गांरटी (प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष) के लिए राज्य अथवा केंद्र स्तर पर सरकारी वित्त में उपलब्ध गुंजाइश सीमित है। इसके लिए वित्तीय संस्थाओं और पूंजी बाजार, घरेलू और बाह्य दोनों से निधीयन की आवश्यकता है। भारतीय बैंकों द्वारा आधारभूत संरचना के लिए और अधिक निधीयन की अनुमति देने हेतु बैंकों की एकल उधारकर्ता और समूह उधारकर्ता एक्सपोज़र सीमा पहले ही शिथिल कर दी गई है। संकेंद्रण जोखिम और आस्ति /देयता विसंगति को ध्यान में रखते हुए, कोई और शिथिलता विवेकपूर्ण होगी। विनियामक की दृष्टि से, ब्याज दर डेरिवेटिव-ओवर द कांउटर (ओटीसी) और विनिमय आधारित-की अनुमति दी गई है और ये ब्याज दर जोखिम से बचाव का अवसर प्रदान करती हैं। व्यापक एसएलआर आधार पर चलनिधि आवश्यकता भी और अधिक सूक्ष्म आधार पर कार्यशील है तथा बैंकों की स्थिति पर यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर निगरानी रखी जाती है कि विसंगतियां नियंत्रण में रहें। कंपनी बांडों को चलनिधि प्रदान करने के लिए रिपो की अनुमति दी गई है। एक बार जारी एकल नाम ऋण चूक अदला-बदली संबंधी अंतिम दिशानिर्देश जोखिम को कम करने में सुविधा प्रदान करेंगे और एक बड़ी सीमा तक एक्सपोज़र संबंधी समस्या को घटाने में मदद करेंगे। प्रतिभूतिकरण बैंकिंग प्रणाली से बाहर निवेशकों के एक बड़े दायरे के बीच ऋण जोखिम के पुनर्वितरण में काफी अधिक योगदान कर सकता हैं, इस प्रकार यह बैंकों के बड़े उधारकर्ताओं की ऋण सीमा को मुक्त करता है। फिर भी, प्रतिभूतिकरण को बिना प्रणालीगत जोखिम उत्पन्न किए एक व्यवस्थित तरीके से विकसित करना चाहिए। प्रारंभकर्ता और निवेशक के हित को संरेखित करने की दृष्टि से, न्यूनतम

धारण अपेक्षा और न्यूनतम रखने की अवधि सहित, संशोधित प्रतिभूतिकरण दिशानिर्देश और टेक-आउट सुविधा के मामले में पूंजी संव्यवहार पर भी दिशानिर्देश लगभग तैयार हैं। इन विनियमनों को समंजित करते समय जिन परिवेष्टक सिद्धांतों का अनुसरण किया जाता है, उनका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि वृद्धिशील अर्थव्यवस्था की आवश्यकताएं वित्तीय प्रणाली द्वारा पूरी की जाएं, जबकि यह भी ध्यान में रखना है कि विवेकपूर्ण सिद्धांतों से समझौता न हो, न ही वित्तीय स्थिरता को खतरा हो। हम वैश्विक व्यवहारों का अध्ययन करते हैं और उनको हमारी विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संशोधित करते हैं तथा यह भारतीय विनियामक दृष्टिकोण की कसौटी रही है। मैं आपको आश्वास्त कर सकता हूं कि किसी अन्य क्षेत्र ने विनियामकों के लिए उतनी चुनौती नहीं प्रस्तुत की है जितनी कि आधारभूत संरचना क्षेत्र ने। इसकी विशिष्ट स्थिति को देखते हुए, आधारभूत संरचना निधीयन के लिए एक विशेषज्ञ सरकारी स्वामित्व संस्था के रूप में भारतीय आधारभूत संरचना वित्त कंपनी लिमिटेड (आइआइएफसीएल) ऋण संवृद्धि उत्पादों और जोखिम मंदकों को और अधिक विस्तृत करने में अपने संरक्षण और पूंजी को लिवरेज देने की स्थिति में है, जिससे बैंकों, बीमा और पेंशन निधियों जैसे निवेशकों को अपने ऋण और बाजार जोखिम का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी। असली मुद्दा बीमा और पेंशन योजनाओं के माध्यम से दीर्घकालिक बचतकर्ताओं को प्रोत्साहित करने का बना हुआ है ताकि आधारभूत संरचना के वित्तीयन के लिए प्रणाली में दीर्घकालिक बचतों के पूल को बढ़ाया जा सके।

## पैरा बैंकिंग गतिविधियां

9. हाल में, बैंक भी निवेश में संलिप्त हुए हैं अथवा उन्होंने आधारभूत संरचना निधियां अथवा उद्यम पूंजी निधियां बनाई हैं अथवा निजी इक्विटी निधियों में भी निवेश किया है। जहां पर ऐसे निवेश (लिवरेज सहित) न्यूनतम सीमा से कम हैं और उनका काफी अधिक हिस्सा नहीं है (निधि के 20 प्रतिशत से कम) अथवा जहां पर बैंक ने अपने नाम को उधार नहीं दिया है अथवा वह प्रबंधन में शामिल नहीं हैं, उनसे कोई विशेष विनियामक अपेक्षा नहीं की गई है, ऐसा उन निवेशों को छोड़कर है जो समग्र पूंजी बाजार एक्सपोज़र सीमा और समुचित पूंजी बनाए रखने के अंतर्गत है। जहां पर बैंक प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से अपना नाम उधार देते हैं अथवा पूंजी को बड़ी मात्रा में निजी पूल से प्रवाहित/प्रबंधन करते हैं, ख्याति, संकेंद्रण और पारंपरिक ढ़ांचे में शामिल नहीं किए गए अन्य जोखिमों की देखभाल करने के लिए अतिरिक्त पूंजी अपेक्षा की आवश्यकता है। यही कारण है कि हम पूंजी के बड़े निजी पूल का प्रबंधन करने के लिए बैंकों पर मार्ग निर्देश प्रकाशित करने के बारे में सोच रहे हैं।

## डेरिवेटिव-लिवरेज्ड़ और जटिल संरचना में जोखिम

10. कारोबार के लिए वृद्धिशील और बड़े पैमाने पर बढ़ती वैश्वीकृत अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं में से एक उन्हें अपने मुख्य कारोबार में ध्यान देने योग्य बनाना है। एक दशक से भी अधिक, डेरिवेटिव बाजार में धीरे-धीरे नए उत्पाद शुरू किए गए है, शुरू शुरू में अधिकांशतः ओटीसी बाजार में और हाल में एक्सचेज में। जबकि कई कंपनियों और कारोबारों ने हेजिंग के लिए इन उत्पादों का प्रयोग किया है, इनके विशेष रूप से लिवरेज्ड उत्पादों के आक्रामक विपणन से और कारोबारों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निधीयन की लागत को अथवा हेजिंग की लागत को कम करने के उनके प्रयोग से कई बैंकों और कारोबार के लिए संकट उत्पन्न हो गया है। इस अनुभव से लिया गया सबक ऐसे उत्पादों और बैंकों तथा ग्राहकों दोनों के लिए ऐसे

उत्पादों और संबद्ध जोखिमों विशेष रूप से लिवरेज्ड़ और जटिल संरचनाओं को समझने की आवश्यकता पर बल देता है, साथही समुचित जोखिम प्रबंधन नीतियां, लेखांकन मानक और प्रकटीकरण हो, इसके साथ-साथ उचित मूल्यन और मार्क टु मार्केट (एमटीएम) संव्यवहारों के लिए प्रयोक्ताओं और लेखा परीक्षकों को पर्याप्त मार्ग निर्देशन हो।

## लाखों लोगों को उधार

11. अगले दशक की एक प्रमुख चुनौती असंगठित क्षेत्र में लगे लाखों लोगों, सूक्ष्म और लघु कारोबार क्षेत्र में स्वरोजगार प्राप्त, लघु और सीमांत कृषक, कृषि क्षेत्र में मौखिक पट्टेदारों तथा बटाईदारों के वित्त पोषण की है; अन्य चुनौतियों में काम आय वाले परिवारों को सुगम लागत आवास और शिक्षा का वित्तीयन शामिल है। ये परिवार और कारोबार समुचित लेखा बहियों को नहीं रखते हैं, उनका नकदी प्रवाह अनियमित होता है और संपत्ति अथवा अन्य संपार्श्विक के मुश्किल से कोई दस्तावेज होते हैं। इन परिवारों को बैंक खाते खोलने के माध्यम से औपचारिक बैंकिंग प्रणाली में लाना केवल एक बात है और अलबत्ता यह एक पहला कदम है। ऐसे उधारकर्ताओं की संख्या, जिन्होंने बैंकिंग प्रणाली से 25 हजार रुपए और उससे कम उधार लिए, 2004 के 36.8 मिलियन से बढ़कर 2009 में 39.2 मिलियन हो गई अर्थात 5 वर्षों के दौरान 2.4 मिलियन की वृद्धि हुई। ऐसे उधारकर्ताओं की संख्या, जिन्होंने 2,00,000/- रुपए से कम उधार लिए, 2004 के 61.9 मिलियन से बढ़कर 2009 में 95.8 मिलियन हो गई - यद्यपि इसमें लगभग 34 मिलियन की वृद्धि हुई, फिर भी, जनसंख्या का एक बढ़ा भाग अभी भी शेष बचा हुआ है। यदि इन उधारों के 2,00,000/- रुपए से कम कवरेज को अगले तीन सालों में वयस्क संख्या के कम-से-कम 50 प्रतिशत तक बढ़ाना है, तो उधार खातों की संख्या को वार्षिक तौर पर कम-से-कम 41.3 प्रतिशत बढ़ाना होगा। बैंक कैसे इतनी बड़ी संख्या का सामना करेंगे? बचत और वसूली के अच्छे रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए, जीसीसी / ओडी जैसे मानक उत्पादों को किफायती दरों पर बचत उत्पादों की जमानत पर देना होगा क्योंकि किसी अन्य प्रतिभूति के द्वारा ऐसा प्रस्ताव करने की कोई संभावना नहीं है। जोखिम कम करने वाले उत्पादों को विकास वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रस्तावित किए जाने की आवश्यकता होगी। पहले ही, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) ने आज कल मझौले और छोटे उद्यमों (एमएसई) के लिए उधारों हेतु एक ऋण गारंटी उत्पाद प्रस्तुत किया है जिसमें कोई संपार्श्विक नहीं है - इस योजना को हाल में और ग्राहक उपयोगी बनाया गया है। इसी प्रकार के ऋण जोखिम को कम करने वाले उत्पाद को छोटे किसानों के लिए नाबार्ड द्वारा शुरू किए जाने की आवश्यकता है, ये किसान उनके द्वारा खेती की जा रही भूमि के कब्जा संबधी कोई दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाते, ऐसा ही कृषि से इतर कार्यों में लगे भूमिहीनों और संबंद्ध गतिविधियों के मामले में भी है। लगातार और बार-बार प्राकृतिक आपदाओं की स्थिति में व्यापक विपत्ति के द्वारा प्रभावित लोगों को भी उधार देने के लिए उपयुक्त ऋण गारंटी की आवश्यकता है। राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) को कम आय के आवासों के वित्तपोषण में निहित दस्तावेजी जोखिम, ऋण जोखिम और अन्य जोखिम कम करने के लिए ऐसे उत्पादों को विकसित करने की आवश्यकता है। संवर्धित और भलीभांति दस्तावेजों वाली संपत्ति के अधिकार भी ऐसे संपार्श्विक प्रतिभूतियों में सुधार लाएंगे जो परिवारों और छोटों कारोबारों द्वारा उधारदाता को प्रस्तुत की जा सकती है जिससे ऐसे उधारों के मूल्यन में कमी हो सकती है। अंत में, बैंकों को आउटरीच बढ़ाने के लिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों, सूक्ष्म वित्त संस्थाओं और वित्तीय सहकारी समितियों के साथ सहभागिता करनी होगी क्योंकि बाद वाली संस्थाएं 'अंतिम गंतव्य' के मामले में बिलकुल नई हैं। ऐसा करने में, बैंकों को अपना ध्यान समनुदेशी अथवा

प्रतिभूतिकृत पोर्टपोलियो की निगरानी की तरफ करना होगा ताकि आस्ति गुणवत्ता,उचित ब्याज दर तथा अंतिम उधारकर्ता केसाथ उचित व्यवहार सुनिश्चित किया जा सके।

## एसएमई के लिए जोखिम मापन

12. विभिन्न क्षेत्रों में एक जैसे विनियामक मानदंड को लागू करने से, यह संभव है कि जोखिम की प्रकृति का सही तरीके से अंतर न किया जा सके अथवा अवमानक को विनियमित करने की प्रवृत्ति हो। यह आवश्यक है कि कुछ क्षेत्रों की विशिष्ट प्रकृति पर विशेष ध्यान दिया जाए। एक, खुदरा उधार देने में गतिविधि विशिष्ट नगदी प्रवाह पैटर्न और पोर्टपोलियो स्तर जोखिम प्रोफाइल को पहचानने की आवश्यकता होगी। खुदरा उधार की अवधारणा को बासेल II के अंतर्गत लाया गया जिसमें एसएमई पर विशेष जोर दिया गया। विविधीकरण लाभ, जिसका परिणाम जोखिम को कम करने के रूप में हुआ, को पहचाना गया; उन्नत दृष्टिकोणों के अंतर्गत, वे मॉडल, जिनकी कारोबार चक्रों में चूक व्यवहारों में गणना होती है, जोखिम की और अधिक वास्तविक माप उपलब्ध कराते हैं। बैंकों और पर्यवेक्षकों के बीच क्षमताओं को बढ़ाने में निहित चुनौती उन्नत दृष्टिकोण की ओर बढ़ना है जहां पर विकास वित्त के ऋण जोखिम को सही तरीके से रोका जा सकता है। दो, जोखिम भारांकन के लिए रेटिंग आधारित दृष्टिकोण पर पुनः विचार करने की आवश्यकता है। वे एसएमई खुदरा ऋण के लिए पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि वे खुदरा ऋण मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत बाह्य रेटिंग आधारित जोखिम भारांक के अधीन होते हैं। उभरी बाजार अर्थव्यवस्थाओं को इस संबंध में बहुत अधिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। एक, इन देशों की रेटिंग एजेंसियों के पास चूक दर को मॉडल करने के लिए पर्याप्त ऋण जानकारी न हो। दो, राशि बहुत बड़ी हो और उसको वहन करना कठिन हो। तीन, रेटिंग ऋण की लागत बढ़ा सकती है। चार, अच्छी रेटिंग के बावजूद ऋण की उपलब्धता और मूल्यन अन्य कारकों पर निर्भर होते हैं। अंत में, एसएमई उधारकर्ता भली प्रकार लेखा परीक्षित खाते और बाजार के तथ्य तथा कारोबार डायनेमिक्स, जिस पर ऋण रेटिंग एजेंसियां निर्भर होती हैं, प्रस्तुत करने में समर्थ न हों। जैसा कि ऊपर पहले ही कहा गया है, सिडबी योजना के अंतर्गत ऋण गारंटी उन उधारकर्ताओं की देखभाल करती है जिनके पास कोई संपार्श्विक जमानत नहीं होती है। अन्य एसएमई उधारकर्ताओं के लिए, ऋण संवर्धन योजनाएं अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण खंड के लिए ऋण के प्रवाह को बढ़ाने में उपयोगी होगी।

## ऋण सूचना एजेंसियों की भूमिका

13. इस संदर्भ में ऋण सूचना कंपनियों की भूमिका उल्लेखनीय है। एक सुदृढ़ ऋण संस्कृति सुनिश्चित करने के लिए व्यापक और सटीक ऋण रिकार्ड बनाने की आवश्यकता है जिससे संभावित उधारदाताओं / लेनेदारों को सूचनाएं उपलब्ध कराई जा सकें। इससे विभिन्न सेक्टरों और क्षेत्रों में जोखिम प्रोफाइल तथा अन्य बारीक आंकड़े बनाने में भी मदद मिल सकती है, ये आंकड़े बडी संख्या में लेनदेनों की चुनौतियों का सामना करने के लिए उधारदाता संस्थाओं की मदद कर सकती हैं। इसके लिए ऐसे डाटा बेस को तेजी से और सही तरीके से लोकप्रिय बनाने में ऋण प्रदाताओं के पूरे सहयोग की आवश्यकता है। ऐसी आशा है कि हाल में लाइसेंस प्राप्त चार ऋण सूचना कंपनियां उनसे आशा की गई भूमिका को पूरा करेंगी।

## बहु उधार और अंतिम उपयोग मुद्दे

14. जबकि बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की आवश्यकताएं कई गुनी हैं, हाल में, यह देखा गया है कि बैंकों के इतर के कारोबार के निधीयन के स्रोत, यद्यपि अधिक नहीं, बैंकों के समान हैं। बहुउधार, प्रतियोगी दवाबों और तथाकथित

तुलनपत्र निधीयन ने अंतिम उपयोग को सुनिश्चित करने की समस्या और बढ़ा दी है। उत्पादन और निवेश की आवश्यकताओं को छोड़कर अत्यधिक उधार संभावित बुलबुलों और ऋण गुणवत्ता में संभावित गिरावट को जन्म दे सकता है। इस संबंध में ऋण रेटिंग एजेंसियों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि वे पूंजी बाजार निधीयन को लिंक प्रदान करती हैं और गैर खुदरा उधारकर्ताओं के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के अंतर्गत पूंजी आवश्यकताओं में एक भूमिका भी निभा सकती हैं। जबकि बैंकों को उन्नत दृष्टिकोण की ओर जाना चाहिए जिसमें रेटिंग, एजेंसियों पर कम निर्भरता हो, वहीं पर रेटिंग एजेंसियों को उस समय एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना चाहिए जब अंतिम उपयोग, आस्ति बुलबुलों और वित्तीय स्थिरता के संबंध में रेटिंग प्रदान करनी हो। रिजर्व बैंक द्वारा बनायाी गयी सूचनाओं के आदान-प्रदान की प्रणाली का बैंकों द्वारा प्रभावी तरीके से प्रयोग किया जाना चाहिए। और तब, जब विभिन्न बैंकिंग व्यवस्थाओं के अंतर्गत उधारकर्ताओं में तनाव के चिह्न प्रकट हों तो बैंकों को एक साथ आना चाहिए और उस कंपनी की समग्र अर्थ सक्षमता की ओर दृष्टिपात करें न कि 'एकला चलें' का तदर्थ तरीका अपनाएं - इससे आगे होने वाले त्यागों से बचा जा सकेगा।

## निष्कर्ष

15. वैश्विक वित्तीय संकट के परिमाण और परिणामी सुधारात्मक कारवाईयों ने विनियामक व्यवस्था में परिवर्तनों को आवश्यक बना दिया है। लेकिन, ये परिवर्तन संबंधित वित्तीय बाजरों के स्वरूप और आधुनिकता के स्तर के आधार पर विभिन्न देशों में अलग-अलग हो सकते हैं। नए वैश्विक मानक, कुल मिलाकर, बैंकिंग क्षेत्र की आघात सहनीयता को बढ़ाएंगे, जबकि विकसित और उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देंगे। भारत जैसी उभरती बाजार अर्थव्यवस्था में तीव्र और समावेशी वृद्धि की चुनौतियों के लिए विनियामक से अपेक्षा होगी कि वह ऐसी वृद्धि में सहायक वित्तीय क्षेत्र के विकास को सुगम बनाने पर अधिक ध्यान दे, जबकि विवेकपूर्ण सिद्धांतों और वित्तीय स्थिरता के साथ कोई समझौता न करे। इसका यह ही तात्पर्य होगा कि उत्पादक क्षेत्र की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विनियामक ढ़ांचे को विकसित किया जाए और विशेष रूप से आधारभूत वित्तीयन, कृषि एमएसई, शिक्षा और कम आय आवास जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाए।

## अनुबंध

### जनसंख्या की तुलना में चालू और बचत खातों की संख्या - मार्च 2004 और मार्च 2009

| क्षेत्र/राज्य/ संघशासित प्रदेश | खातों की कुल संख्या (बचत + चालू) | | कुल जनसंख्या (2001 जनगणना) | व्यस्क जनसंख्या (2001 जनगणना) | प्रति 100 जनसंख्या खातों की संख्या | | प्रति 100 व्यस्क जनसंख्या खातों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | मार्च 04 | मार्च 09 | | | मार्च 04 | मार्च 09 | मार्च 04 | मार्च 09 |
| **उत्तरीय क्षेत्र** | **5,66,31,826** | **8,55,13,359** | **13,26,76,462** | **6,78,22,312** | **43** | **64** | **84** | **126** |
| हरियाणा | 86,04,132 | 1,41,25,096 | 2,10,82,989 | 1,13,08,025 | 41 | 67 | 76 | 125 |
| हिमाचल प्रदेश | 25,,67,880 | 38,94,901 | 60,77,248 | 35,66,886 | 42 | 64 | 72 | 109 |
| जम्मू-कश्मीर | 33,72,319 | 52,93,074 | 1,00,69,917 | 53,79,594 | 33 | 53 | 63 | 98 |
| पंजाब | 1,48,98,338 | 2,05,00,939 | 2,42,89,296 | 1,41,85,190 | 61 | 84 | 105 | 145 |
| राजस्थान | 1,28,28,959 | 2,19,89,369 | 5,64,73,122 | 2,84,73,743 | 23 | 39 | 45 | 77 |
| चंड़ीगढ़ | 12,07,303 | 16,25,586 | 9,00,914 | 5,46,171 | 134 | 180 | 221 | 298 |
| दिल्ली | 1,31,52,895 | 1,80,84,394 | 1,37,82,976 | 79,29,589 | 95 | 131 | 166 | 228 |
| **उत्तर-पूर्व क्षेत्र** | **73,67,684** | **1,31,99,596** | **3,84,95,089** | **1,97,08,982** | **19** | **34** | **37** | **67** |
| अरुणाचल प्रदेश | 2,19,611 | 4,30,270 | 10,91,117 | 5,44,582 | 20 | 39 | 40 | 79 |
| आसाम | 54,49,787 | 94,88,869 | 2,66,38,407 | 1,40,74,393 | 20 | 36 | 39 | 67 |
| मणिपुर | 2,13,107 | 4,51,792 | 23,88,634 | 12,22,107 | 9 | 19 | 17 | 37 |
| मेघालय | 4,83,084 | 7,51,812 | 23,06,069 | 10,88,165 | 21 | 33 | 44 | 69 |
| मिजोरम | 1,21,326 | 3,07,161 | 8,91,058 | 4,76,205 | 14 | 34 | 25 | 65 |
| नागालैंड़ | 2,09,271 | 4,14,093 | 19,88,636 | 9,95,523 | 11 | 21 | 21 | 42 |
| त्रिपुरा | 6,71,498 | 13,55,599 | 31,91,168 | 17,84,212 | 21 | 42 | 38 | 76 |
| **पूर्वी क्षेत्र** | **4,96,90,359** | **7,93,73,634** | **22,76,13,073** | **12,21,36,133** | **22** | **35** | **41** | **65** |
| बिहार | 1,36,89,753 | 2,23,68,417 | 8,28,78,796 | 4,09,34,170 | 17 | 27 | 33 | 55 |
| झारखंड | 60,00,348 | 99,69,955 | 2,69,09,428 | 1,37,37,485 | 22 | 37 | 44 | 73 |
| उडीसा | 72,58,164 | 1,34,27,147 | 3,67,06,920 | 2,10,65,404 | 20 | 37 | 34 | 64 |
| सिक्किम | 1,29,462 | 2,36,944 | 5,40,493 | 2,88,500 | 24 | 44 | 45 | 82 |
| पश्चिम बंगाल | 2,24,87,486 | 3,31,47,204 | 8,02,21,171 | 4,58,96,914 | 28 | 41 | 49 | 72 |
| अंडमान-निकोबार द्वीप समूह | 1,25,146 | 2,23,967 | 356,265 | 2,13,660 | 35 | 63 | 59 | 105 |
| **मध्य क्षेत्र** | **6,64,56,406** | **11,05,17,420** | **25,57,13,495** | **12,93,16,677** | **26** | **43** | **51** | **85** |
| छत्तीसगढ़ | 35,38,965 | 65,42,616 | 2,07,95,956 | 1,12,09,425 | 17 | 31 | 32 | 58 |
| मध्य प्रदेश | 1,22,85,299 | 1,98,15,273 | 6,03,85,118 | 3,14,04,990 | 20 | 33 | 39 | 63 |
| उत्तर प्रदेश | 4,71,28,859 | 7,88,17,573 | 16,60,52,859 | 8,22,29,748 | 28 | 47 | 57 | 96 |
| उत्तरांचल | 35,03,283 | 53,41,958 | 84,79,562 | 44,72,514 | 41 | 63 | 78 | 119 |
| **पश्चिम क्षेत्र** | **5,27,03,203** | **7,98,25,097** | **14,90,71,747** | **8,61,82,206** | **35** | **54** | **61** | **93** |
| गोवा | 16,65,728 | 21,87,748 | 13,43,998 | 8,91,411 | 124 | 163 | 187 | 245 |
| गुजरात | 1,71,76,226 | 2,60,49,908 | 5,05,96,992 | 2,88,63,095 | 34 | 51 | 60 | 90 |
| महाराष्ट्र | 3,36,95,424 | 5,12,34,546 | 9,67,52,247 | 5,62,07,604 | 35 | 53 | 60 | 91 |
| दादर और नागर हवेली | 75,384 | 1,98,829 | 2,20,451 | 1,22,765 | 34 | 90 | 61 | 162 |
| दमन और दीव | 90,441 | 1,54,066 | 1,58,059 | 97,331 | 57 | 97 | 93 | 158 |
| **दक्षिण क्षेत्र** | **8,80,52,912** | **14,86,96,075** | **22,34,45,381** | **13,55,74,225** | **39** | **67** | **65** | **110** |
| आंध्र प्रदेश | 2,51,30,985 | 4,87,52,136 | 7,57,27,541 | 4,42,31,918 | 33 | 64 | 57 | 110 |
| कर्नाटक | 2,02,34,481 | 3,40,83,877 | 5,27,33,958 | 3,06,23,289 | 38 | 65 | 66 | 111 |
| केरल | 1,82,69,788 | 2,32,62,900 | 3,18,38,619 | 2,05,60,323 | 57 | 73 | 89 | 113 |
| तमिलनाडु | 2,38,39,326 | 4,15,64,546 | 6,21,10,839 | 3,95,11,038 | 38 | 67 | 60 | 105 |
| लक्षद्वीप | 23,488 | 40,166 | 60,595 | 33,686 | 39 | 66 | 70 | 119 |
| पाण्डुचेरी | 5,54,844 | 9,92,450 | 9,73,829 | 6,13,971 | 57 | 102 | 90 | 162 |
| **अखिल भारतीय** | **32,09,02,390** | **51,71,25,181** | **102,70,15,247** | **54,10,31,553** | **31** | **50** | **59** | **96** |

## अनुबंध

### जनसंख्या की तुलना में चालू और बचत खातों की संख्या - मार्च 2004 और 2009

| क्षेत्र/राज्य/ संघशासित प्रदेश | कुल जनसंख्या (2001 जनगणना) | वयस्क जनसंख्या (2001 जनगणना) | खातों की संख्या | | प्रति 100 जनसंख्या खातों की संख्या | | प्रति 100 व्यस्क जनसंख्या खातों की संख्या | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | मार्च 04 | मार्च 09 | मार्च 04 | मार्च 09 | मार्च 04 | मार्च 09 |
| **उत्तरीय क्षेत्र** | **13,26,76,462** | **6,78,22,312** | **69,91,741** | **1,11,97,675** | **5** | **8** | **10** | **17** |
| हरियाणा | 2,10,,82,989 | 1,13,08,025 | 10,91,198 | 16,34,121 | 5 | 8 | 10 | 14 |
| हिमाचल प्रदेश | 60,77,248 | 35,66,886 | 3,77,089 | 5,56,563 | 6 | 9 | 11 | 16 |
| जम्मू-कश्मीर | 1,00,69,917 | 53,79,594 | 3,76,520 | 5,86,533 | 4 | 6 | 7 | 11 |
| पंजाब | 2,42,89,296 | 1,41,85,190 | 15,24,061 | 20,92,653 | 6 | 9 | 11 | 15 |
| राजस्थान | 5,64,73,122 | 2,84,73,743 | 22,72,974 | 34,73,840 | 4 | 6 | 8 | 12 |
| चंड़ीगढ़ | 9,00,914 | 5,46,171 | 1,03,559 | 1,90,403 | 11 | 21 | 19 | 35 |
| दिल्ली | 1,37,82,976 | 79,29,589 | 12,46,340 | 26,63,562 | 9 | 19 | 16 | 34 |
| **उत्तर-पूर्व क्षेत्र** | **3,84,95,089** | **1,97,08,982** | **12,17,328** | **20,01,487** | **3** | **5** | **6** | **10** |
| अरुणाचल प्रदेश | 10,91,117 | 5,44,582 | 30,986 | 56,829 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| आसाम | 2,66,38,407 | 1,40,74,393 | 7,45,588 | 13,00,912 | 3 | 5 | 5 | 9 |
| मणिपुर | 23,88,634 | 12,22,107 | 38,637 | 73,996 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| मेघालय | 23,06,069 | 10,88,165 | 78,113 | 1,15,229 | 3 | 5 | 7 | 11 |
| मिजोरम | 8,91,058 | 4,76,205 | 35,918 | 60,244 | 4 | 7 | 8 | 13 |
| नागालैंड़ | 19,88,636 | 9,95,523 | 30,626 | 91,328 | 2 | 5 | 3 | 9 |
| त्रिपुरा | 31,91,168 | 17,84,212 | 2,57,460 | 302,9 49 | 8 | 9 | 14 | 17 |
| **पूर्वी क्षेत्र** | **22,76,13,073** | **12,21,36,133** | **91,50,268** | **1,21,91,968** | **4** | **5** | **7** | **10** |
| बिहार | 8,28,78,796 | 4,09,34,170 | 23,23,496 | 37,95,805 | 3 | 5 | 6 | 9 |
| झारखंड | 2,69,09,428 | 1,37,37,485 | 9,77,306 | 13,26,608 | 4 | 5 | 7 | 10 |
| उडीसा | 3,67,06,920 | 2,10,65,404 | 23,40,734 | 30,76,704 | 6 | 8 | 11 | 15 |
| सिक्किम | 5,40,493 | 2,88,500 | 24,696 | 36,357 | 5 | 7 | 9 | 13 |
| पश्चिम बंगाल | 8,02,21,171 | 4,58,96,914 | 34,69,985 | 39,31,929 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| अंडमान-निकोबार द्वीप समूह | 3,56,265 | 2,13,660 | 14,051 | 24,565 | 4 | 7 | 7 | 11 |
| **मध्य क्षेत्र** | **25,57,13,495** | **12,93,16,677** | **1,01,04,468** | **1,41,78,147** | **4** | **6** | **8** | **11** |
| छत्तीसगढ़ | 2,07,95,956 | 1,12,09,425 | 6,07,764 | 9,48,331 | 3 | 5 | 5 | 8 |
| मध्य प्रदेश | 6,03,85,118 | 3,14,04,990 | 22,23,676 | 35,07,700 | 4 | 6 | 7 | 11 |
| उत्तर प्रदेश | 16,60,52,859 | 8,22,29,748 | 67,87,589 | 90,02,270 | 4 | 5 | 8 | 11 |
| उत्तरांचल | 84,79,562 | 44,72,514 | 4,85,439 | 7,19,846 | 6 | 8 | 11 | 16 |
| **पश्चिम क्षेत्र** | **14,90,71,747** | **8,61,82,206** | **91,18,713** | **3,12,86,538** | **6** | **21** | **11** | **36** |
| गोवा | 13,43,998 | 8,91,411 | 1,22,574 | 1,85,453 | 9 | 14 | 14 | 21 |
| गुजरात | 5,05,96,992 | 2,88,63,095 | 20,36,263 | 32,24,998 | 4 | 6 | 7 | 11 |
| महाराष्ट्र | 9,67,52,247 | 5,62,07,604 | 69,48,260 | 2,78,66,601 | 7 | 29 | 12 | 50 |
| दादर और नागर हवेली | 2,20,451 | 1,22,765 | 5,777 | 5,072 | 3 | 2 | 5 | 4 |
| दमन और दीव | 1,58,059 | 97,331 | 5,839 | 4,414 | 4 | 3 | 6 | 5 |
| **दक्षिण क्षेत्र** | **22,34,45,381** | **13,55,74,225** | **2,98,07,772** | **3,92,00,362** | **13** | **18** | **22** | **29** |
| आंध्र प्रदेश | 7,57,27,541 | 4,42,31,918 | 77,77,824 | 1,20,13,970 | 10 | 16 | 18 | 27 |
| कर्नाटक | 5,27,33,958 | 3,06,23,289 | 59,67,108 | 84,69,354 | 11 | 16 | 19 | 28 |
| केरल | 3,18,38,619 | 2,05,60,323 | 40,68,814 | 57,02,986 | 13 | 18 | 20 | 28 |
| तमिलनाडु | 6,21,10,839 | 3,95,11,038 | 1,18,90,839 | 1,28,03,893 | 19 | 21 | 30 | 32 |
| लक्षद्वीप | 60,595 | 33,686 | 2,469 | 4,641 | 4 | 8 | 7 | 14 |
| पाण्डुचेरी | 9,73,829 | 6,13,971 | 1,00,718 | 2,05,518 | 10 | 21 | 16 | 33 |
| **अखिल भारतीय** | **1,02,70,15,247** | **54,10,31,553** | **6,63,90,290** | **11,00,56,177** | **6** | **11** | **12** | **20** |

**टिप्पणी :** उधार खातों की संख्या 31 मार्च 2004 और 2009 को स्वीकृत स्थान के अनुसार है।
**स्त्रोत :** बैंकिंग स्टेटिस्टिक्स रिटविन।